गुप्त

सं.: 12/17/2006-IPR VII
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग

कार्यालय, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प व व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम)

तथा

यूरोपियन पेटेंट ऑफिस (ईपीओ)
के बीच द्विपाक्षिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन

कार्यालय, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प व व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) का प्रतिनिधित्व

डॉ. अजय दुआ,सचिव, भारत सरकार

तथा यूरोपियन पेटेंट ऑफिस (ईपीओ) का प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष

प्रो. एलेन पॉमपीडो

जिन्हें इसके बाद "पक्षकार" के रूप में निर्दिष्ट किया गया,

औद्योगिक सम्पदा के विकास आयाम को ध्यान में रखते हुए,

ज्ञान आधारित समाज और नए तकनीकों के समावेश द्वारा सृजित चुनौतियों का प्रभावी प्रत्युत्तर प्रदान करने के लिए आविष्कार को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय औद्योगिक सम्पदा प्रणाली को सुधारने और सुदृढ़ करने की आवश्यकता को स्वीकारते हुए,

यूरोप और भारत के बीच आर्थिक एवं तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए दोनों संस्थानों को एक दूसरे का अनुपूरक बनाने के उद्देश्य से सीजीपीडीटीएम तथा इपीओ के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने की बांछा करते हुए,

इपीओ की पेटेंट अनुदान प्राधिकारी के रूप में और इसके साथ-साथ पेटेंट और पीसीटी के क्षेत्र में सहयोग की व्यापक विशेषज्ञता को मानते हुए

तथा

भारतीय पेटेंट प्रणाली के आधुनिकीकरण और उन्नयन में भारत सरकार के महती प्रयास और निवेश को अंगीकार करते हुए;

निम्नलिखित समझौते पर सहमत होते हैं:

गुप्त

सं.: 12/17/2006-IPR VII
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग

शीर्षक I

उद्देश्य और सिद्धांत

अनुच्छेद 1

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पेटेंट के क्षेत्र में इन दो संस्थानों के उत्तरदायित्व के अनुसरण में इस क्षेत्र में इन पक्षकारों के बीच और सहयोग बढ़ाना है।

अनुच्छेद 2

दोनों पक्षकार उनके अपने उद्योग और नागरिकों के लाभार्थ भारत एवं यूरोप दोनों में पेटेंट कार्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए सहयोग पर सहमत होते हैं।

इस उद्देश्य के प्राप्ति हेतु दोनों पक्षकार आपसी विश्वास, सम्मान और समान आदर्श के आधार पर संबंध विकसित करने पर सहमत होते हैं।

जहां तक संभव हो और अपने हितों के किसी संभावित टकराव से बचने के लिए इन सहयोग गतिविधियों को उन अन्य सहयोग कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चलाया जाएगा जिस पर इन पक्षकारों ने किसी तृतीय पक्ष के साथ सहमति व्यक्त की हो, जिनमें ईपीओ सदस्य राज्यों के बौद्धिक सम्पदा संस्थान, यूरोपियन कमीशन अथवा विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (वाइपो) के साथ सहमति शामिल हैं।

शीर्षक II

सहयोग के विशिष्ट क्षेत्र

दोनों पक्षकार निम्नलिखित क्षेत्रों में सिद्धांत रूप में, किन्तु अनन्य रूप में नहीं, सहयोग गतिविधियों का वार्षिक कार्यक्रम विकसित करेंगे:

अनुच्छेद 3 पेटेंट अनुदान प्रक्रिया

दोनों पक्षकार आधुनिकीकरण, प्रक्रियागत युक्तिकरण और पेटेंट के क्षेत्र में सरलीकरण के उनके कार्य से संबंधित सूचना के हस्तांतरण के लिए संचार के स्थायी सूत्र बनाएंगे।

पेटेंट अनुदान प्रक्रिया-पीसीटी सहित-के विषय में विशेषज्ञ स्तर पर नियमित विचार-विमर्श, वर्गीकरण मुद्दे, गुणता निर्धारण एवं परीक्षण पद्धति को संबंधित पेटेंट प्रणालियों की गतिविधि में सुधार लाने के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए।

विशिष्टतया, ईपीओ पेटेंट अनुदान प्रक्रिया, जहां तक खोज और विशेष्य परीक्षण का संबंध है, में सुधार लाने के लिए सीजीपीडीटीएम की सहायता करेगा। विशेषकर, इपीओ गूढ़ और त्वरित विकसित हो रहे जैव-प्रौद्योगिकी अथवा कम्प्यूटर क्रियान्वित आविष्कारों जैसे तकनीकी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए

सीजीपीडीटीएम "परीक्षण दिशा-निर्देश" को विकसित और अद्यतन करने के लिए सुझाव और सहायता प्रदान करेगा। इस सहायता को मुख्यत: ईपीओ कर्मियों के भारत में विशेषज्ञ मिशन के माध्यम से कार्य रूप दिया जा सकता है।

अनुच्छेद 4 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

ईपीओ भारत में ईपीओ विशेषज्ञ मिशन के जरिए, सीजीपीडीटीएम अधिकारियों के ईपीओ तथा यूरोप के अन्य पेटेंट कार्यालयों में अध्ययन दौरे के साथ-साथ यूरोपियन पेटेंट एकेडमी द्वारा संचालित विभिन्न सेमिनारों में सीजीपीडीटीएम अधिकारियों की भागीदारी द्वारा सीजीपीडीटीएम को उसके मानव संसाधन विकास में सहायता प्रदान करेगा।

ईपीओ भारत में एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करेगा जो कर्मचारियों के प्रशिक्षण और शिक्षण तथा बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में खोज और विकास के उत्तरदायी होगा।

अनुच्छेद 5 स्वचालन

दोनों पक्षकार अपने-अपने कार्यालयों में सूचना तकनीक प्रणाली को अद्यतन करने की संभावनाओं की खोज करेंगे ताकि डाटा हस्तांतरण, डाटाबेस और (पीसीटी) इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंग जैसे प्रशासनिक प्रक्रियाओं तक परस्पर पहुंच बढ़ाया जा सके।

इस उद्देश्य के लिए, दोनों पक्षकार उनके संस्थानों में सूचना प्रणाली के विकास या क्रियान्वयन के लिए अपनी-अपनी स्वचालन नीतियों, कार्य नीतियों और योजनाओं संबंधी सूचना का हस्तांतरण करेंगे।

ईपीओ पारस्परिक सहमत नियम और शर्तों के आधार पर पैटनेट के माध्यम से सीजीपीडीटीएम को ईपीओक्यूयूई प्रणाली तक पहुंच अनुमत्य करेगा।

अनुच्छेद 6 पेटेंट डाटाबेस और डाटा हस्तांतरण

दोनों पक्षकार उनके परीक्षकों और आम जनता को उपलब्ध हो सकने वाले पूर्ण और बेहतर गुणता सम्पन्न पेटेंट सूचना बनाने के मद्देनजर मिलकर कार्य करने पर सहमत होते हैं।

दोनों पक्षकार अपने-अपने पेटेंट नियमों के अनुसरण में किए गए पेटेंट आवेदनों और अनुदानित पेटेंट दोनों पर सूचना का हस्तांतरण करेंगे। यह सूचना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में हस्तांतरित होगी।

अनुच्छेद 7 बौद्धिक सम्पदा जागरूकता और आविष्कार

दोनों पक्षकार उन सेवाओं के सृजन और क्रियान्वयन में सहयोग कर सकते हैं जो समाज के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक सम्पदा की महता पर जागरूकता बढ़ाएगा।

इसके अन्तर्गत औद्योगिक सम्पदा के हितधारकों जैसे आविष्कारकों, वैज्ञानिकों, अन्वेषकों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, वकीलों, बौद्धिक सम्पदा व्यवसायों और औद्योगिक सम्पदा से संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत सिविल सेवकों के लिए सेमिनारों का संयुक्त संचालन, सिम्पोसिया कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

इस क्षेत्र के गतिविधियों में बौद्धिक सम्पदा और नवीन खोज के संवर्द्धन को समर्पित केन्द्रों के नेटवर्क का विकास शामिल हो सकता है। जहां भी संभव हो, यह नेटवर्क अन्य देशों विशेषकर यूरोप में विद्यमान समरूप नेटवर्क के साथ सूत्र स्थापित कर सकेगा।

इन गतिविधियों का समन्वय अन्य सहभागियों जैसे सरकारी एजेंसियां, विश्वविद्यालय, वाणिज्य संस्थान आदि के साथ किया जा सकेगा जो इस नेटवर्क की निरंतरता और रख-रखाव में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।

शीर्षक III
संयुक्त समिति

अनुच्छेद 8 गठन और संदर्भ की शर्तें

दोनों पक्षकार इस समझौते ज्ञापन के फलस्वरूप होने वाली सहयोग गतिविधि की निगरानी और दोनों संस्थानों के हितों से संबंधित किन्हीं बिन्दुओं पर विचारों का हस्तांतरण सुलभ कराने के लिए एक संयुक्त समिति के गठन पर सहमत होते हैं।

अनुच्छेद 9 बैठकें

यह समिति वार्षिक कार्य कार्यक्रमों के अनुमोदन तथा इसके अन्तर्गत चलाए गए सहयोग गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेंगे। इनकी बैठक दोनों पक्षों में से किसी एक के औपचारिक लिखित अनुरोध पर भी हो सकती है, बशर्ते कि दूसरा पक्ष सहमत हो।

प्रत्येक बैठक का एजेंडा, स्थान और तारीख का निर्धारण दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से होगा।

शीर्षक IV
वार्षिक कार्य कार्यक्रम

अनुच्छेद 10

दोनों पक्षकार संयुक्त रूप से उस वार्षिक कार्य कार्यक्रम की रूप-रेखा बनाएंगे और सहमत होंगे जिसके आधार पर प्रत्येक वर्ष चलाए जाने वाले निर्दिष्ट सहयोग गतिविधियों का निर्धारण होगा।

प्रत्येक कार्यकारी कार्यक्रम में कार्य के क्षेत्र, संसाधनों का प्रशासन और समनुदेशन, कुल परिव्यय और उनका वितरण, समय-सूची और कोई अन्य आवश्यक समझे जाने वाली सूचना सहित सहयोग गतिविधियां चलाने की विस्तृत योजना शामिल होगी।

प्रत्येक वार्षिक कार्य कार्यक्रम में वर्तमान समझौता ज्ञापन के शीर्षक II में निर्दिष्ट सभी क्षेत्रों की सहयोग गतिविधियां शामिल करना आवश्यक नहीं है।

अनुच्छेद 11 धन

प्रत्येक गतिविधि का क्रियान्वयन वार्षिक बजट में अपेक्षित कोष की उपलब्धता पर निर्भर करेगा जिसे सम्बद्ध पक्षकार सहयोग गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराएंगे।

गुप्त

सं.: 12/17/2006-IPR VII
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग

शीर्षक V

अंतिम प्रावधान

अनुच्छेद 12 प्रवृत्त होना
वर्त्तमान समझौता ज्ञापन इस पर हस्ताक्षर की तारीख के अगले दिन से प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 13 संशोधन
यह समझौता ज्ञापन, इसके प्रवृत्त होने की तारीख निर्दिष्ट करते हुए प्रेषित पत्रों द्वारा गठित दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 14 विवाद का निपटारा
इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या अथवा प्रवर्तन से संबंधित किसी विवाद का निपटारा दोनों पक्षकारों के बीच आपसी विचार विमर्श और सहमति द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 15 निरस्तीकरण
यह समझौता ज्ञापन दो वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया है इसके पश्चात् दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति पर इसे नवीकृत करने का उद्देश्य है।

कोई पक्ष दूसरे पक्ष को कम से कम 90 कलेण्डर दिवस की लिखित सूचना देकर किसी भी समय इस समझौता ज्ञापन को निरस्त कर सकता है।

इस समझौता ज्ञापन को समय से पूर्व निरस्त करने से इसके प्रवृत्त रहने के समय सहमत वार्षिक कार्य कार्यक्रमों के तहत किए जा रहे किसी सहयोग कार्य की पूर्ति प्रभावित नहीं होगी।

दिनांक 29 नवम्बर, 2006 को म्यूनिख में अंग्रेजी भाषा की दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित।

सीजीपीडीटीएम की ओर से

डॉ. अजय दुआ
सचिव, औद्योगिक नीति और संर्वद्धन विभाग
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

यूरोपियन पेटेंट कार्यालय की ओर से

प्रो. एलेन पॉमपीडो
अध्यक्ष